

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति० कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 13/2018

सुशील कुमार चोटवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

गोपाललाल चौपडा पुत्र श्री छोटूराम चौपडा (विक्रेता), मैसर्स:- गोपाल मावा भट्टी, चौपडो की ढाणी, गांव-मोरीजा, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर। निवासी-899, पुरोहित कोटी मोरीजा, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर।

अभियुक्त,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एवं धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011)

उपस्थिति:-

1. परोकार सरकार उपस्थित ।
2. अभियुक्त एवं अभियुक्त की ओर से अभिभाषक अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27.08.2019

यह परिवार सुशील कुमार चोटवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवार प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 07.10.2017 को मैसर्स गोपाल मावा भट्टी, चौपडो की ढाणी, गांव मोरीजा, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर का अभियुक्त गोपाल लाल चौपडा की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण मौके पर वनस्पति (नेचर फ्रेश) एवं स्किम्ड मिल्क पाउडर के खाली पाउच जिसमें से वनस्पति के 1 किलोग्राम वजनी दो भरे हुए सील्ड पैकेट भी रखे हुए थे। इसमें गुणवत्ता का शक होने पर इसमें से 1 किलोग्राम मावा वास्ते नमूना जांच संख्या अभिहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के कोड एवं क्रमांक ई-3175 के लिये क्रय किया गया। क्रय किये गये 1 किलोग्राम मावे की कीमत अंके रुपये 210/- (अक्षरे रुपये दो सौ दस रूपयें मात्र) मौके पर उपस्थित गोपाल लाल चौपडा से केश मीमो/रसीद प्राप्त की। जिस पर बतौर सबूत विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये 1 किलोग्राम मावे की जांच कराये जाने पर अमानक खाद्य पदार्थ होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा मावा विक्रय हेतु मिश्रित दूध का अमानक खाद्य पदार्थ पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। अतः धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किये गये। अभियुक्त द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया। अभियुक्त द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रकरण में उस पर लगाये गये आरोप अस्वीकार है। दिनांक 03.06.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील कुमार चोटवानी न्यायालय में उपस्थित हुए तथा यह कथन किया कि अभियुक्त द्वारा निरीक्षण दिनांक को आम जनता को विक्रय करने के लिए मावा तैयार कर लोहे के चार डब्बों में रखा गया था। मौके पर वनस्पति (नेचर फ्रेश) एवं स्किम्ड मिल्क पाउडर के खाली पाउच जिसमें से वनस्पति के एक किलोग्राम वजनी दो भरे हुए सील्ड पैकेट भी मौके पर पाये गये थे। जिनसे मौके पर तैयार किया गया मावा मिला जिसकी जांच



[Handwritten signature]

खाद्य विश्लेषक से कराये जाने पर विक्रय किये जाने हेतु रखा गया मावा अमानक पाया गया है। अतः अभियुक्त पर नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावें।
वकील अभियुक्त एवं स्वयं अभियुक्त भी अनुपरिथत। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने परोकार सरकार की बहस सुनी। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि दिनांक 07.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के अनुसार तथा निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 10.08.2011 के अनुसार आवंटित कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मैसर्स श्री गोपाल मावा भट्टी, चौपडा की ढाणी, गांव-मोरीजा, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर के यहां पर निरीक्षण हेतु पंहुचे तथा निरीक्षण करने पर दुकान में वनस्पति के 1 किलोग्राम वजनी दो भरे हुए सील्ड पैकेट भी रखे हुए थे। आम जनता को विक्रय करने हेतु मावा तैयार किया जा रहा था। जिनमें गुणवत्ता की कमी का/अमानक होने का शक होने पर नमूना जांच हेतु हिला मिला कर 1 किलोग्राम मावे को खरीद कर खरीदशुदा मावे को सील बन्द कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को नमूना जांच हेतु जमा कराई गई। जिसमें खाद्य विश्लेषक राजस्थान, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एलएस/2290/एक्ट/2017/2362 दिनांक 01.11.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा अमानक खाद्य पदार्थ होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर धारा 51 के तहत निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एवं धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रा० पत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं:-

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 में प्रकाशन हुआ है, की प्रति।
2. जोन जयपुर क्षेत्र प्रार्थी को आवंटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 की प्रति।
3. प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.10.2017 को नमूने के लिए क्रय किये 1 किलोग्राम मावे के समर्थन में विक्रेता द्वारा दिनांक 07.10.2017 को दिये गए केश-मीमो दिनांक 07.10.2017 की प्रति जिस पर विक्रेता गोपाल लाल चौपडा के हस्ताक्षर है।
4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति के हस्ताक्षर विक्रेता गोपाल लाल चौपडा के है।
5. खाद्य विश्लेषक को जांच हेतु नमूना भिजवाने के लिए तैयार किया गया प्ररूप 6 की प्रति एवं प्ररूप 6 की प्रतियां प्राप्ति की रसीद की प्रतियां।



[Handwritten signature]

6. गौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर विक्रेता गोपाल लाल चौपडा के हस्ताक्षर है।


7. खाद्य विश्लेषक से नमूना जाँच रिपोर्ट दिनांक 01.11.2017 की प्रति जो निर्धारित प्ररूप की में जारी की गई है और नमूना अमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना अंकित है।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, उनसे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते हैं कि अभियुक्त के पास वरवक्त निरीक्षण अमानक खाद्य पदार्थ मावा उपलब्ध था, जिसमें फेट की मात्रा निर्धारित नार्म्स 30 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 13.54 प्रतिशत पायी गई है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में नमूना लिये गये मावे को अमानक खाद्य पदार्थ पाया गया है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः अभियुक्त द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये हम अभियुक्त के कृत्य के लिये रुपये 70,000 (अक्षरे रुपये सत्तर हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते हैं और यह आदेश देते हैं कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 27.08.2019 को सुनाया गया।




(डॉ. अशोक कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी,
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
(चतुर्थ), जयपुर